

Form No.3

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भुसावर

हबली बनाम राज. सरकार

किस्म मुकदमा. प्रा. पत्र धारा 136 LRA नं. 97 सन 2025 जीसीएमएस नं. 445

तारीख हुक्म	हुक्म का कार्यवाही इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.10.25	<p>वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 LRA के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होवे। अप्रार्थीगण की तलबी प्रार्थी द्वारा तलवाना पेश करने पर जरिए रजिस्टर्ड डाक से जारी होवे। पत्रावली दिनांक 04.11.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(राधेश्याम मीणा) उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)</p>	
04-11-25	<p>आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित, उन्हें सुना गया। उन्होंने अवगत कराया कि जिक्रे ग्राम गद्दीसाद की आराजीयाह में प्रार्थी के पिता का नाम रमला के स्थान पर भूपू राजसूय कर्मचारियों की सहजन गलती से दर्ज हो गया है, जबकि जमाबंदी सं. 2075-78 के खाता संख्या 203, प्रार्थी के ई-क्रम कार्ड, पहचान-पत्र, फोन कार्ड में सही नाम हबली पुत्र रमला है। इसबाबत उन्होंने शपथ पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थी के पिता का नाम शुद्ध किये जाने का अवल निवेदन किया है।</p>	

हमने बहस पर मनन किया गया पचावली एवं
इसमें प्रस्तुत फरसोवजी रिकॉर्ड का मतीभंति आद्ययन
किया। उक्तके आधार पर एम प्रार्थी के जिरा का
नाम शुद्ध किया जाकर उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थीन पत्र प्रार्थी अंतर्गत आर/136LRN
स्वीकार किया जाकर रहसिलदार, मुसावर को
आदेशित किया जाता है कि आरा संख्या 202, 201,
200 वीके ग्राह ग्राह गदीसाद की आराजी में प्रार्थी
के जिरा कानाठ एवली पुत्र मधु के स्थान पर
एवली पुत्र रमला दुरकुर राजस्व रिकॉर्ड किया
जावे।

निर्णय आज दिनांक 04-11-25 को मेरे द्वारा
लिखाया जाकर सैर इजलास सुनाया गया।
पचावली प्रेसल शुमार होकर नंबर से कग हो,
बाद रकमील जासा दामिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मुसावर (भरतपुर) राज०